**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1651

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**घटिया अनुसंधान जर्नलों के पाश में फंसाने वाले प्रकाशक**

**1651. डा॰ प्रकाश बांडाः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाश में फंसाने वाले 300 प्रकाशक ऐसे जर्नलों को प्रकाशित कर रहे हो जिन्हें वे अंतर्राष्ट्रीय मानक के होने का दावा करते हो और 30 डालर-1800 अमरीकी डालर प्रति पत्र की दर से प्रभार लेकर पत्रों को प्रकाशित करते हो;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक प्रकाशनों की एक नई आधिकारिक सूची को स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक कंसोर्टियम आफ एकेडेमिक एंड रिसर्च एक्सिस की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी अनुमोदनों में ऐसे जर्नलों के इस्तेमाल से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और अनुसंधन में गुणवत्ता को बढ़ावा देने की एक नई प्रणाली की सिफारिश हेतु श्री पद्मनाभन बलराम की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(डॉ. सत्‍यपाल सिंह)**

(क) से (घ): सरकार, संकाय द्वारा गुणवत्‍ता युक्‍त अनुसंधान को बढ़ावा देने और शोध प्रकाशनों की नई ज्ञान विश्‍वसनीयता स्‍थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये, व्यक्तिगत, संस्‍थागत और राष्‍ट्रीय छवि को प्रस्तुत करते हैं। प्रतिष्ठित जर्नल में उच्‍च गुणवत्‍तायुक्‍त प्रकाशन शीर्ष वैश्विक रैंक प्राप्‍त करने और शिक्षा की समग्र गुणवत्‍ता सुधार में सहायक होते हैं।

 इस लक्ष्‍य के साथ, यूजीसी ने मौजूदा जर्नल्‍स की समीक्षा की और 4305 निम्नस्तरीय जर्नलों को सूची से हटा दिया है।

सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्‍कृति, भारतीय ज्ञान प्रणालियों इत्‍यादि विषयों में जर्नलों को शामिल करने हेतु प्रक्रिया को सुधारने और उसे सुदृढ़ बनाने हेतु विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंसोर्टियम फॉर अकादमिक और रिसर्च एथिक्स (केयर) स्‍थापित करने का निर्णय लिया है। यूजीसी द्वारा इस संबंध में 28.11.2018 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

 यूजीसी ने प्रो. पी. बलराम की अध्‍यक्षता में मौजूदा एम.फिल/पीएच.डी विनियमों की समीक्षा और अनुसंधान प्रचार के संबंध में गुणवत्‍ता अधिदेश की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की है।

**\*\*\*\*\***